



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1026]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 16, 2015/वैशाख 26, 1937

No. 1026]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 16, 2015/VAISAKHA 26, 1937

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2015

का.आ. 1307(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) दिनांक 9 जनवरी, 2014, में प्रकाशित भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की 30 मई, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1487(अ), जिसे प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) यथाअपेक्षानुसार उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न स्थल मानचित्र और अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की दो मास की सूचना दी थी और उक्त अधिसूचना की एक प्रतिलिपि संस्मारक के निकट सहज दृश्य स्थान पर चिपका दी गई थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतिलिपियां 9 जनवरी, 2014, को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई ऐसी घोषणा पर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है;


अतः केन्द्रीय सरकार प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इसके साथ संलग्न स्थल मानचित्र तथा अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थान	स्मारक का नाम	राजस्व सर्वेक्षण नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	स्वामित्व	सीमाएं तथा खसरा संख्या
केरल	वयानाड	सुल्तान बत्तरी	नडवयल ग्राम	विष्णुमंदिर (विष्णुगुडि)	सर्वे नम्बर 285/2 बलॉक 60	0.600 हेक्टेयर 15 सेंट	निजी	उत्तर : सर्वे नम्बर 285/2 (भाग) पूर्व : सर्वे नम्बर 285/2 (भाग) पश्चिम : सड़क दक्षिण : सर्वे नम्बर 285/2 (भाग)

[फा. सं. 2-24/2008 स्मारक (भाग-2)]
राकेश तिवारी, महानिदेशक

विष्णु मंदिर (विष्णुगुडी), नडवयल - ग्राम, तहसील - सुल्तान बत्तरी,
जिला - वयानाड, राज्य - केरल



PROPOSED AREA FOR PROTECTION
क्षेत्रफल- 0.600 हेक्टेयर (15 सेंट)

